न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 119/2017

अनवान : –

1. नत्थुराम पुत्र रामजस जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर –मृतक
   1/1 मांगीलाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
   1/2 छोटुराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
   1/3 गुड्डी देवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
   1/4 शीला पुत्री नत्थुराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
   1/5 शकुन्तला देवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
   1/6 बसन्ती देवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
   1/7 बेबी देवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
2. जयसिंह पुत्र रामजस जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
3. रणजीत पुत्र रामजस जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
4. गोपीराम पुत्र लूणाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. शकुन्तला पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
2. सहीराम पुत्र किरताराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
3. विजय कुमार पुत्र किरताराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
4. बृजलाल पुत्र किरताराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
5. शिशपाल सिंह पुत्र किरताराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
6. गीता पुत्री किरताराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
7. दिलवारसिंह अनकोरी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
8. सुरेन्द्र प्रतापसिंह पुत्री अनकोरी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
9. सुनिता पुत्री अनकोरी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
10. मितु पुत्री अनकोरी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता गैरसायलान

<u>निर्णय</u> दिनांकः 21/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 5 बारानी ए– तहसील नोहर के खाता स० 66 के प०न0 352/382 के मु0न0 33 के किला न0 4–5 की 2 बीघा, प०न0 342/389 के मु0न0 107 के किला न० 9 ता 13 की 5 बीघा [illegible] प०न० 341/389 के मु0न0 108 के किला न0 6 की 1 बीघा 13 ता 18 की 6 बीघा, 19 [illegible] 1 बीघा 22 की 1 बीघा कुल 19 बीघा कृषि भूमि स्थित थी। व इसी प्रकार [illegible] तहसील नोहर के खाता स0 78 के प०न0 345/360 के मु0न0 342 के किला न० 1 की [illegible] बीघा, 9 ता 12 की [illegible] बीघा, 19 ता 20 की 2 बीघा कुल तादादी 7 बीधा कृषि भूमि स्थित थी। जिसके डूंगर जालु, भीया पुत्रगण तेजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाति जाट खातेदार काश्तकार थे। डुगर, जालु भीया, तीनो फौत हो चुके है एवं डुगर का एक लडका रामजस हुआ जो कि फौत हो चुका है एवं उसके वारिसान सायलान स० 1 ता 3 व भीया का पुत्र लुणा भी फोत हो चुका है एवं लुणा का वारिस सायल स० 4 है एवं जालु का पुत्र किरताराम फौत हो चुका है एवं जिसके एक पुत्र ओमप्रकाश भी फोत हो चुका है एवं किरता की एक लड़की अनकोरी भी फोत हो चुकी है एवं औमप्रकाश के वारिसान गैरसायल स० 1 है एवं अनकोरी के वारिसान गैरसायलान स० 7 ता 10 है एवं गैरसायलान स० 2 ता 6 किरताराम के वारिसान है।

रोही मौजा चक न० 3 ए– बारानी तहसील नोहर की 7 बीघा व रोही मौजा चक 5 ए–बारानी तहसील नोहर की 19 बीघा भूमि में से किरताराम पुत्र जालुराम ने अपने हक व हिस्से यानि 1/3 समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि दिनांक 04.7.1977 को प्रतापसिंह, मोहरसिंह, पि० हेतराम ज़ाति जाट को बैय कर दी थी एवं बाद वैयनामा के रोही मौजा चक न० ३ ए–बारानी व चक न० 5 ए. – बारानी तहसील नोहर में किरताराम का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा चुकि जरिये बैयनामा किरताराम पुत्र जालुराम अपना समस्त हक व हिस्सा बेचान कर चुका था। रोही मौजा चक न० 5 ए–बारानी तहसील नोहर के खाता स० 190/193 की कुल तादादी 4.8050 हैक्ट भूमि में किरताराम पुत्र जालुराम जाति जाट अपने हक व हिस्सा पूर्व में वैय कर चुका था परन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनका नाम कलमजन करने की बजाय 26–2/3 –2/3 हिस्सा सहबन से दर्ज रह गया एवं किरताराम के वारिसान ने विवादग्रस्त कृषि भूमि का विरास्तान नामान्तरण दर्ज रहा था। एवं वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि में न तो गैरसायलान के कब्जा काश्त में है इसलिए सायलान रोही मौजा चक न० 5 ए–बारानी तहसील नोहर के खाता स० 190/199 को प०न0 352/382 के मु0न0 23 के किला न० 4 व 5 की 0.506 हैक्ट प०न० 342/389 के मु०न० 107 के किला न० 9 की 0.253 हैक्ट, 10 की 0.253 हैक्ट, 11 की 0.253 हैक्ट, 12 की 0.253 हैक्ट, 13 की 0.253 हैक्ट, 18 की 0.253 हैक्ट, 19 की 0.253 हैक्ट, 20 की 0.253 हैक्ट, प०न० 341/389 के मु0न0 108 के किला न0 6 की 0.253 हैक्ट, 13 की 0.253 हैक्ट, 14 की 0.253 हैक्ट, 15 की 0.253 हैक्ट, 16 की 0.253 हैक्ट 17 की 0.253 हैक्ट, 18 की 0.253 हैक्ट, 19 की 0.253 हैक्ट, 22 की 0.253 हैक्ट, कुल 9 किता की 2.2750 हैक्ट कुल 4. 8050 हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से गैरसायलान के नाम दर्ज 126–2/3 हिस्सा में सायालन स० 1 ता 3 ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा सायल स० 4 अकेला 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। सायलान इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर गैरसायलान स० 1 ता 10 का नाम जमाबन्दी से कलमजन करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि गैरसायलान स० 1 ता 10 अपने नाम दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर सायलान को ऐलानिया धमकी देता है कि वादग्रस्त भूमि को रहन/बैय कर देगे। अगर गैरसायालन वाद भूमि को रहन/बेय करने में कामयाब हो जाते तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होती है। जिसकी भरपाई किसी कदर सम्भवन नहीं हो पायेगी अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 190/193 की कुल 4.8050 हैक्ट भूमि में गैरसायलान संख्या 1 ता 10 के नाम दर्ज 26–2/3 हिस्सा [illegible] निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 ता 12 उक्त वाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की किरताराम के द्वारा बैयनामा प्रताप वगैरह को चक 3 बारानी व 5 बारानी तहसील नोहर में 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि का करवाया था जिस पर प्रताप वगैर ने चक 3 बारानी में 7 बीघा भूमि का रामजस वगैर की सहमति से करवाया गया था तथा चक 5 बारानी की 1.13 बीघा भूमि किरताराम के पक्ष में छोड़ दी थी। जिसमें रामजस व गोपीराम ने चक 3 बारानी भूमि का नामान्तरण अपनी सहमति देकर प्रातप वगैर के पक्ष में करवाया था शेष भूमि किरताराम के नाम छोड दी थी चक 3 बारानी की भूमि पर किरताराम का कोई कब्जा काश्त नही रही है तथा चक 5 बारानी की भूमि किरताराम के नारम दर्ज नही चली आ रही थी उसकी मृत्यु के पश्चात हम उतरदातागण के नमा से चली आ रही है। चक 5 बारानी तहसील नोहर की समस्त भूमि वादीअपने नाम से दर्ज करवापाने के अधिकारी नही है चूंकि उनके हिस्से तमें 5 बीघा भूमि दी है तथ शेष बची 1.13 बीधा भूमि उनकी है ही नही उक्त भूमि का बैयनामा सन् 1966 में हुआ तथा खरीददार प्रताप वगैर ने उक्त भूमि अपने नाम से दर्ज ही नही करवाय थी। तथा ना उनका कब्जा काश्त है चक 5 बारानी में हम उत्तरदाता का कब्जा है। तेजाराम के तीन वारिसान थे तथा चक 3 बारानी व चक 5 बारानी में दोनो चको में कु 26 बीघा भूमि की उनकी मृत्यु के पश्चात उनके तीन पुत्रो में ब.हि.ब. 1/3,1/3 हिस्सा दर्ज हो गयी तथा रामजस व लुणाराम की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के नाम 1/3,1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है। प्रार्थी द्वारा इतने वर्षो बाद ऐतराज किया गया है। अतः जवाब प्रार्थन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

रोही मौजा चक न० 3 ए– बारानी तहसील नोहर की 7 बीघा व रोही मौजा चक 5 ए–बारानी तहसील नोहर की 19 बीघा भूमि में से किरताराम पुत्र जालुराम ने अपने हक व हिस्से यानि 1/3 समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि दिनांक 04.7.1977 को प्रतापसिंह, मोहरसिंह, पि० हेतराम ज़ाति जाट को बैय कर दी थी एवं बाद वैयनामा के रोही मौजा चक न० ३ ए–बारानी व चक न० 5 ए. – बारानी तहसील नोहर में किरताराम का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा चुकि जरिये बैयनामा किरताराम पुत्र जालुराम अपना समस्त हक व हिस्सा बैचान कर चुका था। रोही मौजा चक न० 5 ए–बारानी तहसील नोहर के खाता स० 190/193 की कुल तादादी 4.8050 हैक्ट भूमि में किरताराम पुत्र जालुराम जाति जाट [illegible] हक व हिस्सा पूर्व में वैय कर चुका था परन्तु उनका नाम कलमजन की [illegible] 3 हिस्सा सहबन से दर्ज रह गया। अप्रार्थीगण के नाम अनुचित तरीके [illegible] कारण रहन बैय करना चाहते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की मुताबिक उक्त भूमि किरता[illegible] द्वारा बैय की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण का कथन है कि किरताराम के द्वारा बैयनामा प्रताप वगैरह को चक 3 बारानी व 5 बारानी तहसील नोहर में 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि का करवाया था जिस पर प्रताप वगैर ने चक 3 बारानी में 7 बीघा भूमि का रामजस वगैर की सहमति से करवाया गया था तथा चक 5 बारानी की 1.13 बीघा भूमि किरताराम के पक्ष में छोड़ दी थी। जिसमें रामजस व गोपीराम ने चक 3 बारानी भूमि का नामान्तरण अपनी सहमति देकर प्रातप वगैर के पक्ष में करवाया था शेष भूमि किरताराम के नाम छोड दी थी लेकिन अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा सहमति बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है मात्र कथन किया गया है।

उपरोक्त विवेचनास्वरूप 1.13 बिघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होनी है या अप्रार्थीगण का निर्धारण मूल वाद में तय किया जाना उचित है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि खाता विभाजन होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण विवादित अराजी का काश्तकार है प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है अतः प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 190/193 की कुल 4.8050 हैक्ट भूमि में गैरसायलान संख्या 1 ता 10 के नाम दर्ज 26–2/3 हिस्सा भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 21/11/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:42:26 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर